NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-04-2026

विषय सूची

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

भारत और मिस्र: द्विपक्षीय रक्षा सहयोग

एथलेटिक्स निगरानी संस्था द्वारा भारत में 'अत्यधिक उच्च' डोपिंग जोखिम चिन्हित

भारत द्वारा जापान द्वारा रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील का स्वागत

संक्षिप्त समाचार

संक्षिप्त समाचार

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs)

वाष्पीकरणीय मांग (Evaporative Demand)

सरकार द्वारा E100 ईंधन और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को प्रोत्साहन

रोगजनक अभिगम एवं लाभ-साझाकरण(PABS) परिशिष्ट

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

समाचार में

- **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD)** प्रत्येक वर्ष **24 अप्रैल** को मनाया जाता है, ताकि पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का स्मरण किया जा सके।

परिचय

- यह दिवस **73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** की स्मृति में मनाया जाता है, जो 1993 में प्रभावी हुआ और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- ये प्रावधान भारतीय संविधान के **भाग IX** में सम्मिलित हैं, जो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर बुनियादी लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं।

पंचायती राज प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- भारत में पंचायती राज की जड़ें प्राचीन ग्राम सभाओं जैसे **सभा** और **समिति** में हैं, जो स्थानीय शासन का संचालन करती थीं।
- ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीकृत प्रशासन के कारण यह प्रणाली कमजोर हो गई।
- स्वतंत्रता के बाद विकेन्द्रीकृत शासन को बढ़ावा देने हेतु **बलवंत राय मेहता समिति (1957)** का गठन हुआ, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की।
- इसे सर्वप्रथम **1959 में राजस्थान** में लागू किया गया।
- संवैधानिक आधार **73वें संशोधन अधिनियम** द्वारा मिला, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्य बनाया और संविधान के **अनुच्छेद 243–243O** में समाहित किया।

पंचायती राज संस्थाओं की संरचना

- पंचायती राज प्रणाली **विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत** पर आधारित है, जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों को हस्तांतरित होती है।
- इसकी त्रिस्तरीय संरचना है:
  a. **ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)** – जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क प्रकाश और ग्राम अधोसंरचना जैसी स्थानीय प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ।
  b. **ब्लॉक पंचायत (मध्य स्तर)** – ग्रामों के बीच विकास का समन्वय और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
  c. **जिला पंचायत (जिला स्तर)** – ब्लॉकों में विकास गतिविधियों का एकीकरण, योजना निर्माण और संसाधन आवंटन।

क्या आप जानते हैं?

- **ग्राम सभा** किसी ग्राम के सभी पंजीकृत मतदाताओं का निकाय है और यह बुनियादी स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सशक्त रूप है।
  - यह पंचायती राज की स्थायी संस्था है, परंतु त्रिस्तरीय संरचना का हिस्सा नहीं है।
  - इसके अधिकार और कार्य राज्य कानूनों द्वारा परिभाषित हैं।
  - यह विकास योजनाओं को अनुमोदित करती है, व्यय की निगरानी करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और ग्रामवासियों को निर्णय-निर्माण में भागीदारी का अवसर देती है।

Panchayati Raj System Objectives

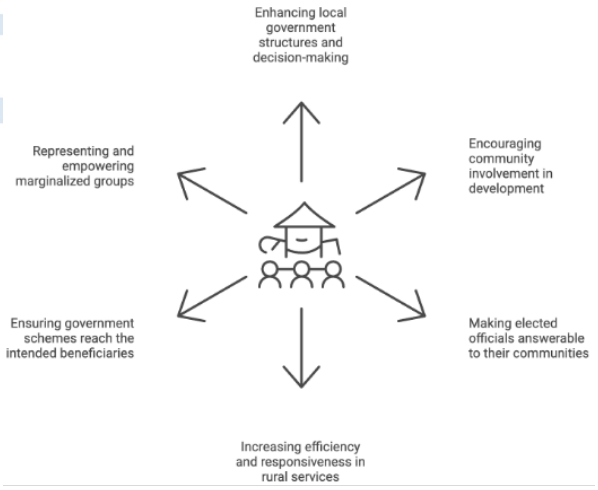

पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु पहलें

- **स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)** – 24 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।
  - इसके अंतर्गत ड्रोन और GIS तकनीक द्वारा आबाद ग्राम क्षेत्रों का मानचित्रण कर संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं।

- **सभा सार (SabhaSaar)** – यह एक एआई-आधारित उपकरण है जो ग्राम सभा बैठकों की कार्यवाही स्वतः तैयार करता है। इससे मैनुअल कार्यभार कम होता है और निगरानी प्रणाली सुदृढ़ होती है।
- **ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj)** – पंचायतों के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब पोर्टल है जो योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन और परिसंपत्तियों की निगरानी में पारदर्शिता लाता है।
  - यह PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) से जुड़ा है, जिससे राज्यों से पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों का ऑनलाइन हस्तांतरण संभव होता है।
- **ग्राम ऊर्जा स्वराज (Gram Urja Swaraj)** – ई-ग्रामस्वराज के अंतर्गत एक डिजिटल डैशबोर्ड है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों की वास्तविक समय में निगरानी करता है।
- **मेरी पंचायत (Meri Panchayat App)** – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित एकीकृत मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म है।
  - इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, बेहतर शासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** – यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य क्षमता निर्माण, संस्थागत विकास और अधोसंरचना समर्थन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है।
- **मॉडल महिला-हितैषी ग्राम पंचायत (MWFGP)** – यह पहल स्थानीय शासन में महिलाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए है।
  - इसका उद्देश्य समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील पंचायतों का निर्माण करना है, जो महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, अधिकार एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करें।
- **सशक्त पंचायत–नेतृ अभियान** – निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के नेतृत्व, संचार और निर्णय-निर्माण कौशल को बढ़ाने हेतु यह पहल शुरू की गई है।
  - इसका फोकस वास्तविक शासन स्थितियों में व्यावहारिक और सहभागितापूर्ण सीखने पर है।
- **मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS)** – युवाओं को बुनियादी लोकतंत्र में जोड़ने हेतु यह पहल शुरू की गई है।
  - इसे विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर लागू किया गया है।
  - इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9 और 10 के छात्र सम्मिलित होते हैं।
- **अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम, 1996 (PESA Act)** – यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज प्रावधानों का विस्तार करता है। इससे ग्राम सभा-आधारित शासन को सुदृढ़ किया गया है।
  - यह अधिनियम 10 राज्यों के 77,000 से अधिक ग्रामों में लागू है।
  - यह 45 पूर्ण और 63 आंशिक जिलों में विकेन्द्रीकृत, सामुदायिक निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देता है।
  - यह अधिनियम पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश।
  - अधिकांश राज्यों ने PESA नियम अधिसूचित कर दिए हैं, केवल ओडिशा को छोड़कर।

प्रगति

- पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) तीव्र डिजिटल परिवर्तन से गुजर रही हैं, जिससे बुनियादी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।
- अब 95% से अधिक गाँवों में 3G/4G कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिससे अंतिम छोर तक सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)**, जिन्हें 6.5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा संचालित किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को आसानी से सुलभ बना रहे हैं।
- लगभग 2.18 लाख ग्राम पंचायतों में से करीब 2.14 लाख पहले से ही जुड़ी हुई और सेवा-तैयार हैं, जो ग्राम स्तर पर डिजिटल समावेशन की सुदृढ़ प्रगति को दर्शाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ

- **राजकोषीय निर्भरता** – पंचायती राज संस्थाएँ राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरणों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता और योजना लचीलापन सीमित होता है।
- **क्षमता की कमी** – प्रशिक्षित कर्मियों, योजना विशेषज्ञता और डिजिटल साक्षरता की कमी से कार्यान्वयन की गुणवत्ता कमजोर होती है।
- **राज्य-स्तरीय प्रतिरोध** – कई राज्य सरकारें नौकरशाही नियंत्रण के माध्यम से PRI की स्वायत्तता को सीमित करती हैं, जिससे विकेन्द्रीकरण की संवैधानिक भावना प्रभावित होती है।
- **सामाजिक प्रभुत्व** – जातिगत पदानुक्रम, लैंगिक पक्षपात और स्थानीय शक्ति संरचनाएँ प्रतिनिधित्व को विकृत करती हैं, भले ही संवैधानिक आरक्षण विद्यमान हो।
- **कमजोर जवाबदेही** – अपर्याप्त लेखा-परीक्षण तंत्र और सामाजिक लेखा-परीक्षण की कम पहुँच से पारदर्शिता घटती है और संसाधनों का दुरुपयोग होता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- पंचायती राज प्रणाली ने भारत में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर बुनियादी लोकतंत्र को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। तथापि, वित्तीय निर्भरता, सीमित क्षमता और कमजोर जवाबदेही जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- **वित्तीय स्वायत्तता** को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि पंचायतें स्थानीय संसाधनों को एकत्रित और प्रबंधित कर सकें।
- **क्षमता निर्माण** को निरंतर प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और पेशेवर सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग** योजना और निगरानी में सुधार ला सकता है।
- **समावेशी शासन** सुनिश्चित करना होगा, ताकि आरक्षण से परे हाशिए पर रहने वाले समूहों की सार्थक भागीदारी हो सके।
- **जवाबदेही तंत्र** को स्वतंत्र लेखा-परीक्षण, सामाजिक लेखा-परीक्षण और नागरिक चार्टर के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, **स्वच्छ भारत मिशन** और **जल जीवन मिशन** जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ बेहतर अभिसरण से पंचायतें अधिक प्रभावी एवं एकीकृत ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकती हैं, जो **विकसित भारत** की परिकल्पना के अनुरूप है।

स्रोत :PIB

भारत और मिस्र: द्विपक्षीय रक्षा सहयोग

संदर्भ

- हाल ही में **11वीं भारत–मिस्र संयुक्त रक्षा समिति (JDC)** की बैठक काहिरा में आयोजित हुई। यह बैठक **रणनीतिक साझेदारी (2023)** और **रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (2022)** के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।

भारत–मिस्र संबंधों के बारे में

- **प्राचीन एवं मध्यकालीन संबंध:** सिंधु घाटी और नील सभ्यता के बीच लाल सागर मार्गों से व्यापारिक संबंध।
  - ग्रीको-रोमन और बाद में इस्लामी नेटवर्क के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- **स्वतंत्रता-उपरांत चरण:** नेहरू–नासिर नेतृत्व के अंतर्गत मजबूत संबंध।
  - गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य।
  - स्वेज संकट (1956) के दौरान सहयोग, भारत ने मिस्र की संप्रभुता का समर्थन किया।
  - उपनिवेशवाद-विरोध और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की साझा दृष्टि।
- **शीत युद्ध से उत्तर-शीत युद्ध काल तक:** बदलती भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण संबंध धीमे पड़े।
  - 1990 के दशक से आर्थिक उदारीकरण के साथ पुनः सक्रियता।

वर्तमान स्थिति

- **राजनीतिक एवं रणनीतिक:** संबंधों को **रणनीतिक साझेदारी (2023)** तक उन्नत किया गया।
  - नियमित उच्च-स्तरीय यात्राएँ; मिस्र को **गणतंत्र दिवस 2023** में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
  - बहुपक्षीय मंचों (UN, BRICS विस्तार) में सहयोग।
- **आर्थिक संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार लगभग **6–7 अरब डॉलर**।
  - प्रमुख क्षेत्र: पेट्रोलियम, उर्वरक, वस्त्र।
  - भारतीय निवेश: फार्मा, आईटी, विनिर्माण।
- **समुद्री एवं भू-रणनीतिक महत्व:** मिस्र का **स्वेज नहर** पर नियंत्रण, जो भारत के व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  - हिंद महासागर और भूमध्यसागर में संपर्क का अभिसरण।
  - भारत की भूमिका: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता।
- **रक्षा सहयोग:** संस्थागत तंत्र: **संयुक्त रक्षा समिति (JDC)**।
  - **प्रमुख क्षेत्र:** संयुक्त अभ्यास एवं प्रशिक्षण, रक्षा उत्पादन एवं तकनीक, समुद्री सुरक्षा सहयोग।
  - **अभ्यास साइक्लोन** – भारतीय सेना (पैरा स्पेशल फोर्सेज) और मिस्र की विशेष बलों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास।
    - **फोकस:** आतंकवाद-रोधी अभियान, रेगिस्तानी युद्ध, शहरी युद्ध रणनीति, विशेष अभियानों का समन्वय।

11वीं संयुक्त रक्षा समिति (JDC) के प्रमुख परिणाम

- **भविष्य उन्मुख रक्षा रोडमैप (2026–27):** सैन्य-से-सैन्य सहभागिता का विस्तार।
  - संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों की तीव्रता।
  - समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा।
  - सैन्य अभ्यासों का पैमाना और जटिलता बढ़ाना।
  - रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना।
- **रक्षा उद्योग सहयोग:** भारत ने अपने रक्षा उत्पादन में वृद्धि को रेखांकित किया (20 अरब डॉलर से अधिक उत्पादन, लगभग 4 अरब डॉलर निर्यात 100+ देशों को)।
  - रक्षा उद्योग सहयोग योजना विकसित करने पर सहमति।
  - प्रमुख क्षेत्र: सह-विकास और सह-उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण, औद्योगिक साझेदारी।
  - यह भारत की **आत्मनिर्भर भारत** पहल और निर्यात-आधारित विकास को दर्शाता है।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग:** प्रथम बार नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता आयोजित।
  - भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नौवहन स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और **IFC-IOR** के योगदान पर बल दिया।
  - समुद्री सहयोग भारत की रणनीतिक पहुँच का केंद्र है, विशेषकर **SLOCs** की सुरक्षा और उभरते खतरों का मुकाबला करने में।
  - यह भारत की **SAGAR (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन)** दृष्टि के अनुरूप है।
- **वायुसेना सहयोग:** मिस्र वायुसेना प्रमुख से बैठक।
  - वायु-से-वायु सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को मान्यता।
  - संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण आदान-प्रदान की संभावना।

संबंधित मुद्दे एवं चिंताएँ

- व्यापार असंतुलन और अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता।
- सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- नौकरशाही एवं नियामक बाधाएँ।
- मिस्र/अफ्रीका में चीन और अन्य वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा।
- पश्चिम एशिया–उत्तर अफ्रीका (WANA) क्षेत्र में अस्थिरता, जहाँ मिस्र एक प्रमुख खिलाड़ी है।

भविष्य की राह

- **आर्थिक एवं संपर्क:**CEPA/FTA संभावनाओं के माध्यम से व्यापार विस्तार।

  - मिस्र को अफ्रीका और यूरोप के लिए प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** सह-उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा।
  - समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना (स्वेज–IOR संपर्क)।
- **ऊर्जा एवं तकनीक:** हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना में सहयोग।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** ग्लोबल साउथ प्लेटफ़ॉर्म, जलवायु वार्ता और आतंकवाद-रोधी ढाँचों में संयुक्त नेतृत्व।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत–मिस्र संबंध ऐतिहासिक सद्भावना से रणनीतिक गहराई की ओर संक्रमण कर रहे हैं।
- यह साझेदारी भारत की **पश्चिम एशिया–अफ्रीका नीति** और **ग्लोबल साउथ कूटनीति** को आकार देने की क्षमता रखती है, जिसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा में परस्पर पूरकता है।
- आवश्यक है कि रक्षा उद्योग सहयोग योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, त्रि-सेवा सहभागिता का विस्तार हो, खुफिया साझेदारी एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ावा मिले, और बहुपक्षीय समुद्री ढाँचों को सुदृढ़ किया जाए।

स्रोत: TH

एथलेटिक्स निगरानी संस्था द्वारा भारत में 'अत्यधिक उच्च' डोपिंग जोखिम चिन्हित

संदर्भ

- एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट बोर्ड ने भारत में खिलाड़ियों के बीच 'अत्यधिक उच्च' डोपिंग जोखिम के कारण एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है, जिससे भारत की 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की बोली प्रभावित हो सकती है।

परिचय

- इस डाउनग्रेड का अर्थ है कि भारत के ट्रैक और फील्ड खिलाड़ियों को अब अधिक कठोर एंटी-डोपिंग नियमों का पालन करना होगा।
  - सभी राष्ट्रीय टीम के सदस्यों को प्रमुख चैंपियनशिप से पहले परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा।
- यह आघात उस वर्ष आया है जब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स (ग्लासगो) और एशियाई खेलों (जापान) में भाग लेने की तैयारी कर रहा है।

भारत में डोपिंग संबंधी चिंताएँ

- 2002 से 2025 के बीच, भारत एथलेटिक्स में सबसे अधिक एंटी-डोपिंग नियम उल्लंघन (ADRVs) वाले शीर्ष दो देशों में शामिल रहा।
- विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 260 भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिबंधित प्रदर्शन-वर्धक दवाओं के लिए पॉज़िटिव परीक्षण दिया।
- साथ ही, 3.6% की पॉज़िटिविटी दर के साथ भारत विश्व में सबसे अधिक दर वाले देशों में रहा।

एंटी-डोपिंग परीक्षण

- विश्व एथलेटिक्स के एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार, 'कैटेगरी A' संघों के राष्ट्रीय टीम खिलाड़ियों को किसी भी विश्व एथलेटिक्स सीरीज़ इवेंट से पहले पर्याप्त परीक्षण से गुजरना आवश्यक है।
- परीक्षण कार्यक्रम में प्रतियोगिता के दौरान परीक्षण, बिना सूचना के प्रतियोगिता से बाहर परीक्षण और प्रतियोगिता पूर्व रक्त परीक्षण शामिल होना चाहिए।
- सभी खिलाड़ियों के नमूनों का विश्लेषण WADA-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा पूर्ण मेन्यू विश्लेषण के लिए किया जाएगा।

भारत में एंटी-डोपिंग एजेंसी

- भारत में एंटी-डोपिंग प्रयासों के लिए प्राथमिक संगठन **राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA)** है।
  - NADA की स्थापना 2005 में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत की गई थी। यह भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने का कार्य करती है।
  - NADA, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

- **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) मेडिकल आयोग**: यह एक परामर्श निकाय है जो IOA कार्यकारी और कार्यालय को खिलाड़ियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित मामलों पर सलाह देता है।
- **राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम, 2022**: भारत का पहला स्वतंत्र एंटी-डोपिंग कानून है।
  - WADA कोड के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
  - तलाशी, ज़ब्ती और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार प्रदान करता है।
  - अपील तंत्र (राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल एवं अपील पैनल) उपलब्ध कराता है।
  - शिक्षा और अनुसंधान पहल को सक्षम बनाता है।
- भारत, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (खेलों में डोपिंग के विरुद्ध) का हस्ताक्षरकर्ता है।

भारत में डोपिंग बढ़ने के प्रमुख कारण

- **वैज्ञानिक प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी**: कई खिलाड़ी, विशेषकर बुनियादी स्तर पर, प्रतिबंधित पदार्थों या सप्लीमेंट प्रदूषण को पूरी तरह नहीं समझते।
- **प्रदर्शन-वर्धक दवाओं की आसान उपलब्धता**: स्टेरॉयड की ओवर-द-काउंटर उपलब्धता और कमजोर नियमन के कारण बिना कठोर चिकित्सकीय निगरानी के इन पदार्थों का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है।
- **प्रदर्शन करने और रोजगार सुरक्षित करने का दबाव**: सरकारी रोजगारों, कोटा और पदकों से जुड़ी वित्तीय पुरस्कारों के कारण खिलाड़ियों पर अत्यधिक दबाव रहता है।
- **निम्न स्तर पर कमजोर निगरानी**: परीक्षण उच्च स्तर पर अधिक सख्त है, लेकिन राज्य, विश्वविद्यालय और जूनियर प्रतियोगिताओं में अपेक्षाकृत सीमित है, जहाँ डोपिंग की आदतें प्रायः शुरू होती हैं।
- **कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक सामान्यीकरण**: कुछ प्रशिक्षण केंद्रों में ऐतिहासिक रूप से डोपिंग को "प्रणाली का हिस्सा" माना गया है, जिससे इसे समाप्त करना कठिन हो जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **खेलो इंडिया**: बुनियादी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु।
- **राष्ट्रीय खेल नीति**: प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु।
- **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)**: युवा प्रतिभा को पोषित करने और प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु।
- **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार**: उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष**: पूर्व खिलाड़ियों की सहायता हेतु।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष**: अंतर्राष्ट्रीय कोचों के अंतर्गत प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता हेतु।
- **टार्गेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)**: ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता वाले खिलाड़ियों की पहचान और समर्थन हेतु।
- **मिशन ओलंपिक सेल (MOC)**: खिलाड़ियों की तैयारी और प्रशिक्षण की निगरानी हेतु।
- **राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs)**: खेलों के प्रचार और विकास हेतु।

उठाए जा सकने वाले उपाय

- **वित्तपोषण (Funding):** ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में खेल सुविधाओं में निवेश बढ़ाना।
- **एंटी-डोपिंग पाठ्यक्रम का समावेश:** खेल शिक्षा में एंटी-डोपिंग पाठ्यक्रम को शामिल करना।
- **प्रतिभा की पहचान :** विद्यालयों में खेल कार्यक्रम लागू करना ताकि कम आयु से ही प्रतिभा की पहचान और पोषण किया जा सके।
- **आदर्श व्यक्तित्व :** सफल खिलाड़ियों को उजागर करना ताकि युवा खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

स्रोत: IE

भारत द्वारा जापान द्वारा रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील का स्वागत

संदर्भ

- जापान ने अपने रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में छूट दी है। भारत ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि दोनों पक्षों ने "अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हित में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने" का संकल्प लिया है।

परिचय

- जापान ने दशकों पुराने रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में छूट दी है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उसकी शांतिवादी रक्षा नीति से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
  - पूर्व प्रतिबंधों के अंतर्गत हथियारों का निर्यात केवल पाँच श्रेणियों तक सीमित था – बचाव, परिवहन, चेतावनी, निगरानी और माइंसवीपिंग।
  - अब जापान उन 17 देशों को घातक हथियार बेच सकता है जिनके साथ उसके रक्षा समझौते हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं।
- चल रही समीक्षा का उद्देश्य विश्वसनीय साझेदारों को सख्त लेकिन अधिक लचीली शर्तों के अंतर्गत हस्तांतरण की अनुमति देना है।
- भारत और जापान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा पर सहयोग करते हैं, जिसमें क्वाड समूह भी शामिल है।
- **महत्व:**
  - यह कदम उस समय महत्वपूर्ण है जब भारत और जापान दोनों इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आक्रामक चीन की चुनौती का सामना कर रहे हैं।
  - इस बदलाव से रक्षा प्लेटफ़ॉर्म के सह-विकास, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और प्रौद्योगिकी साझाकरण के नए अवसर खुलने की संभावना है, जो भारत के लिए बढ़ती रुचि के क्षेत्र हैं।

भारत-जापान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **संबंधों की स्थापना**: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने जापान के साथ 1952 में अलग शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई।
- **द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति**: 2000 में संबंधों को वैश्विक साझेदारी, 2006 में रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तथा 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी तक उन्नत किया गया।
- **रणनीतिक तालमेल**: भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" और "इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)" जापान की "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP)" नीति से निकटता से मेल खाती है।
- **वैश्विक पहलों पर सहयोग**: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), और उद्योग संक्रमण नेतृत्व समूह (LeadIT) में सहयोग।
- **बहुपक्षीय ढाँचे**: जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारत-अमेरिका क्वाड और भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग**: सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008), रक्षा सहयोग और आदान-प्रदान समझौता (2014), सूचना संरक्षण समझौता (2015), आपूर्ति एवं सेवाओं का पारस्परिक प्रावधान समझौता (2020), तथा UNICORN नौसैनिक मस्तूल का सह-विकास (2024)।
- **अभ्यास**: मलाबार, मिलन, JIMEX, धर्म गार्जियन और कोस्ट गार्ड सहयोग नियमित रूप से आयोजित।
- **व्यापार**: 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $22.8 बिलियन तक पहुँचा।
- **निवेश**: जापान भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत है, 2024 तक $43.2 बिलियन का निवेश।
- **अंतरिक्ष सहयोग**: ISRO और JAXA एक्स-रे खगोलशास्त्र, उपग्रह नेविगेशन, चंद्र अन्वेषण और APRSAF में सहयोग करते हैं।
- **उभरते क्षेत्र**: डिजिटल सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और कौशल विकास।
- **विकास और अवसंरचना सहयोग**: जापान 1958 से भारत का सबसे बड़ा ODA दाता रहा है।
- **पर्यटन**: 2023-24 को पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष के रूप में मनाया गया, थीम थी "हिमालय को माउंट फ़ूजी से जोड़ना"।
- **प्रवासी भारतीय**: लगभग 54,000 भारतीय जापान में रहते हैं, मुख्यतः आईटी पेशेवर और इंजीनियर।

चिंताएँ

- **व्यापार असंतुलन** : भारत-जापान व्यापार में उल्लेखनीय असंतुलन है, जहाँ जापान का भारत को निर्यात, भारत के जापान को निर्यात से कहीं अधिक है। इससे बेहतर पारस्परिक व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

- **भूराजनीतिक तनाव** : क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे, जैसे इंडो-पैसिफिक में चीन का प्रभाव, भारत-जापान संबंधों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं और सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता होती है।
- **सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ** : सुदृढ़ संबंधों के बावजूद, भाषा, संस्कृति और व्यावसायिक प्रथाओं में अंतर गहन एकीकरण के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- **सीमित जन-से-जन संपर्क** : जन-से-जन संपर्क का स्तर अभी भी सीमित है, जिससे गहन आपसी समझ पर प्रभाव पड़ता है।
- **अवसंरचना संबंधी सीमाएँ** : सुधारों के बावजूद, भारत के कुछ क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जो बड़े पैमाने पर जापानी निवेश का प्रभावी समर्थन करने में बाधा डालता है।
- **भिन्न आर्थिक प्राथमिकताएँ** : भारत का ध्यान तीव्र आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जबकि जापान स्थायी विकास और प्रौद्योगिकी पर अधिक बल देता है।

आगे की राह

- **व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना :** व्यापार असंतुलन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना, भारतीय निर्यात को जापान की ओर बढ़ाना और भारत के विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जापानी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **जन-से-जन संपर्क को सुदृढ़ करना :** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना ताकि आपसी समझ को गहरा किया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी :** प्रौद्योगिकी में जापान की विशेषज्ञता और भारत के बढ़ते डिजिटल क्षेत्र का लाभ उठाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग करना।
- **पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान :** पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन पर सहयोग बढ़ाना ताकि दोनों देशों के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन मिल सके।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs)

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) को विस्तारित और पुनर्गठित करने के लिए एक मसौदा ढाँचा जारी किया है, साथ ही इनके उपयोग एवं निर्गम से संबंधित नियमों को सख्त किया है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs)

- PPIs डिजिटल वॉलेट होते हैं जिनमें उपयोगकर्ता अग्रिम रूप से धनराशि लोड कर भुगतान कर सकते हैं।
- वर्तमान में PPIs दो श्रेणियों में विभाजित हैं:
  - **फुल-KYC वॉलेट**: जिनमें सख्त पहचान सत्यापन आवश्यक है।
  - **स्मॉल वॉलेट**: जिनमें सरल ऑनबोर्डिंग नियम हैं।

नवीनतम प्रस्ताव

- RBI ने विशेष-उद्देश्य प्रीपेड वॉलेट्स की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, जैसे सार्वजनिक परिवहन, उपहार, और भारत में विदेशी नागरिकों/NRIs के उपयोग हेतु।

RBI's proposed prepaid payment instruments (PPIs)

	Validity	Total balance cap (in ₹ 000)	Monthly transaction limit (in ₹ 000)
General purpose PPIs			
Full KYC PPI	1 year	200	200
Small PPI	2 years	10	10
Special purpose PPIs			
Gift PPIs	1 year	10	NA
Transit PPIs	Perpetual	3	NA
PPIs for foreign nationals and NRIs	Visa-dependent	500	NA

- सीमा-पार उपयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है, इन्हें केवल घरेलू लेनदेन तक सीमित किया गया है।

- व्यापक वर्गीकरण प्रस्तावित: **सामान्य-उद्देश्य PPIs** और **विशेष-उद्देश्य PPIs** (गिफ्ट, ट्रांज़िट, विदेशी नागरिक/NRIs)।

प्रमुख प्रस्तावित सीमाएँ और विशेषताएँ

- **फुल-KYC PPIs**: 1 वर्ष की वैधता, ₹2 लाख बैलेंस और मासिक लेनदेन सीमा; P2P ट्रांसफर ₹25,000/माह तक; नकद लोडिंग ₹10,000 तक।
- **स्मॉल PPIs**: 2 वर्ष की वैधता, ₹10,000 बैलेंस और मासिक उपयोग सीमा; केवल वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित।
- **गिफ्ट PPIs**: पुनः लोड न होने योग्य, अधिकतम ₹10,000 मूल्य, 1 वर्ष की वैधता, नकद खरीद की अनुमति नहीं।
- **ट्रांज़िट PPIs**: KYC आवश्यक नहीं, ₹3,000 सीमा, स्थायी वैधता; निकासी, रिफंड या ट्रांसफर सुविधा नहीं।
- **विदेशी नागरिक/NRIs PPIs**: ₹5 लाख तक सीमा; UPI One World के माध्यम से भारत में व्यापारी भुगतान हेतु; वीज़ा समाप्त होने पर बंद करना अनिवार्य।
- **नियमन संबंधित:** केवल बैंक और RBI-अनुमोदित गैर-बैंक संस्थाएँ ही PPIs जारी कर सकती हैं।
  - गैर-बैंक जारीकर्ताओं को ₹5 करोड़ की निवल संपत्ति आवश्यकता पूरी करनी होगी, जो तीन वर्षों में ₹15 करोड़ तक बढ़ेगी।
  - PPIs पर ब्याज नहीं दिया जा सकता और इन्हें सख्त KYC एवं परिचालन नियमों का पालन करना होगा।
- **उपभोक्ता संरक्षण उपाय::** असफल लेनदेन पर अनिवार्य रिफंड।
  - शर्तों और शुल्कों का स्पष्ट प्रकटीकरण।
  - शिकायत निवारण प्रणाली।
  - 1 वर्ष की निष्क्रियता के बाद वॉलेट का स्वतः बंद होना (पूर्व सूचना के साथ)।

स्रोत: LM

वाष्पीकरणीय मांग (Evaporative Demand)

समाचार में

- हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि 2025 के अंत तक वैश्विक भूमि सतह का लगभग 30% सूखे की चपेट में था, जो 1990 के दशक में दर्ज ~10% की तुलना में लगभग तीन गुना है। यह सूखे के बनने और तीव्र होने के पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है।

परिचय

- पुराना सूखा पैटर्न मुख्यतः वर्षा की कमी से प्रेरित था।
- नया पैटर्न वाष्पीकरणीय मांग से प्रेरित है।
- वाष्पीकरणीय मांग वातावरण की पृथ्वी की सतह से जल अवशोषण की क्षमता को दर्शाती है।
- यह तापमान, वायु की गति, आर्द्रता और बादल आवरण जैसे कारकों से प्रभावित होती है।
- उच्च वाष्पीकरणीय मांग सूखे की स्थिति को तीव्र कर सकती है और जंगल की आग के जोखिम को बढ़ा सकती है।

प्रमुख अवधारणाएँ

- **एवापोट्रांसपिरेशन (ET)**: मृदा से वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन का संयुक्त जल ह्रास।
- **संभावित एवापोट्रांसपिरेशन (PET)**: दिए गए तापमान पर वातावरण की सैद्धांतिक जल मांग।
- **स्नो ड्रॉट**: जब कम हिमपात के कारण जल संकट उत्पन्न होता है।
- **डे ज़ीरो**: वह बिंदु जब किसी शहर की जल आपूर्ति प्रणाली विफल हो जाती है।
- **कंपाउंड ड्रॉट-हीट इवेंट्स**: सूखा और अत्यधिक गर्मी का एक साथ या क्रमिक रूप से होना।
- **ला नीना**: प्रशांत महासागर के सतही तापमान का आवधिक ठंडा होना।

स्रोत: DTE

सरकार द्वारा E100 ईंधन और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को प्रोत्साहन

संदर्भ

- सरकार आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए E100 ईंधन मिश्रण और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की ओर संक्रमण पर विचार कर रही है।

परिचय

- यह कदम पश्चिम एशिया में युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच उठाया गया है।
- सरकार ने प्रयुक्त खाद्य तेल या एथेनॉल से बने सतत विमानन ईंधन (SAF) के मिश्रण की अनुमति दी है।
- अधिसूचना ने विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) को कानूनी रूप से परिभाषित किया है।

E100 क्या है?

- **E100** ऐसा ईंधन है जिसमें 100% एथेनॉल या लगभग-100% एथेनॉल होता है।
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- ब्राज़ील ने 2003 से विश्व का सबसे परिपक्व फ्लेक्स-फ्यूल कार्यक्रम संचालित किया है।

स्रोत: HT

रोगजनक अभिगम एवं लाभ-साझाकरण(PABS) परिशिष्ट

संदर्भ

- 2025 में अपनाए गए ऐतिहासिक WHO महामारी समझौते (WPA) में अब भी अत्यंत आवश्यक रोगजनक अभिगम एवं लाभ-साझाकरण (PABS) परिशिष्ट का अभाव है।

परिचय

- PABS का उद्देश्य नमूनों के साझा करने को सुनिश्चित लाभों से कानूनी रूप से जोड़ना है।
- यह औषधि निर्माताओं को अनिवार्य करता है कि घोषित महामारी के दौरान वास्तविक समय में उत्पादित टीकों, उपचारों और निदान (VTD) का 20% WHO को प्रदान करें।
- PABS को लगभग 100 निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMICs) का समर्थन प्राप्त है, जिनमें भारत भी शामिल है। ये देश विश्व की लगभग 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विकसित देशों से विरोध आता है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी औषधि कंपनियाँ स्थित हैं।
- अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के LMICs, जहाँ नए रोगजनक प्रायः उत्पन्न होते हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे WHO के माध्यम से जैविक सामग्री और जीनोमिक डेटा साझा करें।
  - किन्तु, वे देश जो इस सामग्री का उपयोग कर जीवन-निर्धारक VTDs विकसित करते हैं, उन्हें इन नैदानिक उत्पादों तक निष्पक्ष और समयबद्ध पहुँच देने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है।
- नमूनों से समाधान तक निष्पक्ष साझाकरण को लागू करने हेतु बाध्यकारी कानूनी ढाँचे के अभाव में, सीमा-पार स्वास्थ्य संकटों के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया चुनौतियों से घिरी रहेगी।

WHO महामारी समझौता

- इसे 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया।
- इसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर WHO सम्मेलन पर बातचीत करना है, जो अंततः एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन में परिणत होगा।
- इसके अपनाए जाने के बाद आगामी महत्वपूर्ण कदम महामारी समझौते पर अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG) द्वारा PABS प्रणाली के विवरण पर बातचीत करना है।
- यह समझौता आधिकारिक रूप से उस समय प्रभावी होगा जब 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि के 30 दिन पश्चात।

स्रोत: TH

■■■■